Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन. नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN. NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फा. सं. सी-23/2011-एमपीलैड्स-खण्ड-1

दिनांक 23 अगस्त, 2013
Dated ....

सेवा में,

1. निगमायुक्त कोलकाता/चेन्नै/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः एमपीलैड्स के वर्तमान दिशा-निर्देशों में संशोधन-सहकारी समितियों की पात्रता के संबध में ।

महोदय,

1. एमपीलैड्स के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत न्यासों/सोसाइटियों के लिए सामुदायिक अवसंरचना तथा जनोपयोगी निर्माण कार्य अनुमेय हैं (पैरा 3.21) । एमपीलैड्स के अन्तर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियां पात्र नहीं है (अनुबंध-II का मद संख्या-2) ।

2. कोऔपरेटिव अभियान न केवल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है अपितु ग्रामीण गरीब/अल्प शिक्षित के शोषण को भी रोकता है । सहकारी समितियों की अवसंरचना तथा जनोपयोगी निर्माण कार्यों जो अधिकांशतः जन-समुदाय के लिए है को एमपीलैड्स के कार्यक्षेत्र से बाहर रखना उचित प्रतीत नहीं होता ।

3. तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि सहकारी समितियों की अवसंरचना तथा जनोपयोगी निर्माण कार्य को भी एमपीलैड्स के क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ सावधानियों/शर्तो के साथ लाया जाए । तदनुसार दिशा-निर्देशों में एक नवीन पैरा 3.42 जोड़ा गया है ।

पैरा 3.42 सहकारी समितियां:

I. सहकारी समितियां एमपीलैड्स के अंतर्गत पंजीकृत न्यासों/सोसायटियों के समकक्ष सहायता के लिए पात्र होंगी ।
II. सहकारी समिति पिछले तीन वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए तथा जिला प्राधिकारी के विचार में, निष्पादन एवं रिकॉर्डों इत्यादि के यथार्थ मूल्यांकन के आधार पर, सुप्रतिष्ठित तथा समुदाय/सार्वजनिक कल्याण के प्रति समर्पित होनी चाहिए ।
III. सहायता केवल सामुदायिक अवसंरचना तथा जनोपयोगी निर्माण कार्यों के लिए ही होगी (पैरा 3.21 के अंतर्गत न्यासों/सोसाइटियों के लिए जो अनुमेय है) ।
IV. एमपीलैड्स निधियों से निर्मित अवसंरचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संपत्ति होगी । (दिशा-निर्देशों का पैरा 3.21.1 में यथावश्यक परिवर्तन सहित प्रयोज्य ।)

V. न्यासों/सोसायटियों को सहायता के लिए अधिकतम सीमा (अपने जीवन काल में 50 लाख रु. तक एक विशेष न्यास/सोसायटी को तथा एक संसद सदस्य द्वारा एक वर्ष में सभी न्यासों/सोसायटियों को एक करोड़ रु. तक) लागू होगी (दिशा-निर्देशों का पैरा 3.21.2 आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रयोज्य) ।

VI. सिफारिश करने वाला संसद सदस्य अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य सहकारी समिति के कार्यालय का सहायक अथवा सदस्य अथवा सहकारी समिति का संरक्षक नहीं होना चाहिए । संसद सदस्यों द्वारा पारस्परिक निधि पोषण अनुमत नहीं होगा (दिशा-निर्देशों का पैरा 3.21.3 यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होगा)

VII. कार्य (अवसंरचना तथा जनोपयोगी निर्माण कार्यों) की प्रकृति पूर्ण रूप से गैर व्यवसायिक हो ।

VIII. कार्य समुदाय अथवा जन हित में हो । वैयक्तिक अथवा पारिवारिक लाभ अनुमत नहीं होंगे (अनुबंध-II का मद 2 लागू होगा) ।

IX. एमपीलैड्स निधियों का उपयोग जनोपयोगी तथा सामुदायिक अंशदान के बदले नहीं किया जाएगा । (दिशा-निर्देशों का पैरा 3.20 लागू होगा)

X. कार्य उत्पादक प्रयोग के लिए होना चाहिए । उनका अनुरक्षण और प्रचालन लागत का दायित्व प्राप्तकर्ता सहकारी समिति का होगा ।

XI. अनुबंध-II की मद संख्या 2 से "कोआपरेटिल" शब्द को हटाया गया है ।

XII. सहकारी समितियों के कार्यालय तथा रिहायशी भवन के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी । (अर्थात् अनुबंध-II की अवशिष्ट मद 2 सहकारी समिति पर लागू होगी) ।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(डी. साईबाबा) 23/8/13

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित सचिव, नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्य) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्यसभा समिति, राज्य सभा, सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा, सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित ।
6. एनआईसी, एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए ।

प्रतिलिपि इनको भीः

1. वित्त मंत्रालय,
2. कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय
3. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, सां. एवं कार्य. कार्या. मंत्रा., कृषि भवन